

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग—6

लखनऊ: दिनांक: ०१ अगस्त, 2016

विषय—राज्य योजना वर्ष 2016-17 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिवस ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-381/79-6-2016-1869/2015 दिनांक 03.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिवस ताजा एवं मौसमी फल वितरित किये जाने विषयक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिवस ताजा एवं मौसमी फल वितरित किये जाने विषयक योजना को “समांजवादी पौष्टिक आहार योजना” के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार अप्रतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3— शासनादेश सं0-381/79-6-2016-1869/2015 दिनांक 03.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3— प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— प्रमुख सचिव, महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5— सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, (श्री पार्थसारथी सेन शर्मा) उ०प्र० शासन।
- 6— स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
- 7— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 8— शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।

- 9— समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 10— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (ब०) उ०प्र०।
- 11— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- 12— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 13— गार्ड फाइल।

✓
१८.१८

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।